

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक: एफ/सम्बद्धता/2022/9079

दिनांक : 02-11-2022

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (ii) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2022 की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10 मई 2022 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार HINDUPAT INSTITUTE OF TEACHER TRAINING, RAGHOGARH, GUNA को सत्र 2022-23 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

HINDUPAT INSTITUTE OF TEACHER TRAINING, RAGHOGARH, GUNA	B.ED.	100
	B.A.-B.ED (INTEGRATED COURSE)	100

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शेष प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्तियाँ सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाए। तथा नियुक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी सम्बद्धता शाखा जी.वि.वि. ग्वा. को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करें।
- शिक्षकों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
- परिनियम 27 की कंडिका (2) के अनुसार जिन महाविद्यालय को प्रारम्भ हुए 6 साल हो चुके हैं। उन्हें नैक से एक्रिडिटेशन कराना अनिवार्य है।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के नियमानुसार) आगामी सत्र में निरीक्षण प्रोफार्मा के साथ दिये गये प्रोफार्मा में मय चयन समिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेंट द्वारा नियुक्ति शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्मा में भर कर प्रस्तुत करनी होगी। परिनियम 28/17 की नियुक्तियाँ पूर्ण होने पर ही आगामी सत्र की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

प्रति,

1. प्राचार्य, **HINDUPAT INSTITUTE OF TEACHER TRAINING, RAGHOGARH, GUNA**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद